न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला – सीकर

गिरधारी बनाम केशर

किस्म मुकदमा धारा 212 R.T.A. मु.नं. 17 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
14/07/25	वकील प्रार्थी द्वारा यह आवेदन बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा ली गई। आवेदन दर्ज रजिस्टर हों। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड डाक से तलब कर मिसल नियत तिथि 24.07.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर
24/07/25	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ का कार्य स्थगन है। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 20/08/25 को पेश हो।
20/08/25	पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषक संघ का कार्य स्थगन है। अतः पत्रावली गत आदेशानुसार दिनांक 21/08/25 को पेश हो।
21/8/25	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। उपस्थित वकील प्रार्थी ने पत्रावली [illegible] "Not Press" [illegible] के [illegible] वकील प्रार्थी को [illegible] व पत्रावली का अवलोकन किया। अतः मुताबिक वकील प्रार्थी के [illegible] प्रार्थी का [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर

Not Press

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Kumar Malhotra
Date: 2025.08.26 15:06:01 IST
Reason: SelfAttested